

खबर कोना



पटियाला की केंद्रीय जेल में
गुरुवार को रक्षाबंधन पर्व पर
अपने भाइयों को राखी बांधने
पहुंची महिलाएं।

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में सरकारी स्कूल का प्रधानाध्यापक गिरफ्तार

चंडीगढ़, 28 अगस्त (एजेंसी)।

जाब के होशियारपुर में एक सरकारी स्कूल के 52 वर्षीय प्रधानाध्यापक को इस महीने की शुरुआत में नाबालिग बच्चों से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुरुवार को बताया कि 11 अगस्त को दोपहर करीब 1.30 बजे से 2.30 बजे के बीच गांव के श्मशान घाट के पास बच्ची के साथ गलत काम किया गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग बच्ची के पिता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरियाना थाने के थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गुरबचन सिंह ने बताया कि आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच जारी है।

पंजाब : हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी गिरोह

चंडीगढ़, 28 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब पुलिस ने हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल दो अलग-अलग गिरोह का भंडाफोड़ कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों के कब्जे से आठ पिस्तौल और लगभग तीन किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी सीमा पार से तस्करी में शामिल थे और ड्रोन के जरिए हथियारों तथा मादक पदार्थों की खेप मंगवाकर पंजाब में आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे। डीजीपी ने कहा कि अमृतसर के राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ थाने में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। सीमा पार गिरोह से जुड़े सभी व्यक्तियों की पहचान करने और नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

विधानसभा अध्यक्ष
ने मधुबन में मिला
आवास लौटाया

चंडीगढ़, 28 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष
हरविंद्र कल्याण ने पुलिस कांस्टेबल
मधुबन (करनाल) में कैप
कार्यालय के लिए आर्बिट्रि सरकारी
मकान वापस लौटा दिया है।
कल्याण ने मकान पर कब्जा नहीं
लिया है।

विस अध्यक्ष का कैप आफिस फिलहाल करनाल के निकट स्थित कल्याण फार्म हाउस से संचालित होता है। यहाँ उनका पुश्तैनी घर भी है, जो काफी जर्जर हो चुका है। उन्होंने इसके पुनर्निर्माण की योजना बनाई। उनके अनुरोध पर हरियाणा सरकार ने 26 अगस्त को पुलिस कॉन्फ्लेक्स मधुन में मकान अबंटित किया। अब कल्याण ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की कि उनका कैप कार्यालय कल्याण फार्म हाउस से ही संचालित होता रहेगा, इसलिए पुलिस कॉन्फ्लेक्स में अलग से सरकारी मकान की आवश्यकता नहीं है।

ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ

हरियाणा में अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण की सुगबुगाहट तेज

अदालती फैसलों के बाद मुख्य प्रधान सचिव ने दिए कार्रवाई के निर्देश

चंडीगढ़, 28 अगस्त (जनसत्ता)।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पिछले 20-21 वर्षों से अपने-सेवाएं दे रहे लगभग 12 हजार अतिथि अध्यापकों में नियमित होने की नई उम्मीद जागी है। ये अध्यापक पिछले दो महीनों से लगातार अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। राज्य सरकार की ओर से कालेजों में कार्यरत करीब पांच हजार अतिथि लेक्चरर को पहले ही नियमित किया जा चुका है, जिसके बाद स्कूलों में कार्यरत इन 12 हजार अतिथि अध्यापकों की नियमित करने की मांग और अधिक मुखर हो गई है।

हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से दिए गए अहम आदेशों ने इस मामले को नया मोड़ दिया है। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 25 मई 2026 को आदेश जारी करने दो महीनों के भीतर अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। इसके पश्चात छह अगस्त 2026 को दोहरी पीठ की ओर से सुनवाई के दौरान पीठ ने दो महीने के भीतर नियमितिकरण प्रक्रिया पूरा करने के आदेशों पर मुहर लगाई गई। अदालती आदेशों को थरातल

संघर्ष समिति के प्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से की मुलाकात। मुख्यमंत्री सैनी के साथ जल्द हो सकती है उच्चस्तरीय बैठक।

स्कूलों में कार्यरत हैं 12 हजार अतिथि अध्यापक। इनमें काफी ऐसे जो 20 साल की सेवा पूरी कर चुके।

पर लागू करवाने के उद्देश्य से राज्य के अतिथि अध्यापक संगठन अब पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं। उन्होंने मिलकर 'हरियाणा गेस्ट टीचर्स संघर्ष समिति' का गठन किया है, जिसमें मैना दादव, कुलदीप झरोली, अजय लोहान, कृष्ण धारसूल, राजेंद्र शास्त्री, पारस शर्मा और नरेंद्र संधु शामिल हैं।

संघर्ष समिति के प्रतिनिधि अजय लोहान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए पत्र में शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि वे वर्ष 2014 में सरकार की ओर से बनाई गई नीति (16 जून 2014 व 18 जून 2014) की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, परंतु वर्षों बाद भी

पक्के नहीं हो पाए हैं। अनेक शिक्षक तो अब सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं।

मामलों की गंभीरता और अदालती आदर्शों का संज्ञान लेते हुए मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने पत्र पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। खुल्लर ने कहा कि अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की संपूर्ण रूपरेखा और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को अविलंब सौंपी जाए।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री महिपाल दांडा ने भी अतिथि अध्यापकों के विषय में गहरी रुचि दिखाई है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक उनकी मांगों को सुना और आश्चर्यतः किया कि वे जल्द ही शिक्षक प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सेनी के साथ एक विशेष बैठक आयोजित कराएंगे। वहीं, मुख्यमंत्री के ओएसडी राज नेहरू ने भी अतिथि अध्यापकों प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी मांगों पर पूरी सहानुभूति और गंभीरता के साथ विचार कर रही है।

पार्टी के अंदरूनी मामलों पर बयान देने वाले तीन भाजपा नेताओं से मांगा जवाब

चंडीगढ़, 28 अगस्त (ब्यूरो)।

पंजाब भाजपा की अनुशासन समिति ने संग्रसर में 25 अगस्त को हुए एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दिए गए बयानों को लेकर पार्टी के तीन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। पार्टी के एक बयान में शुक्रवार को बताया गया कि ये नोटिस संग्रसर के पूर्व जिला अध्यक्ष रणधीर सिंह देओल और मनिंदर सिंह कपियाल और पंजाब भाजपा के पूर्व राज्य सेल समन्वयक जतिंदर कालरा को जारी किए गए हैं। अनुशासन समिति के अध्यक्ष सुभाष प्रकाश की ओर से जारी नोटिस के अनुसार इन तीनों नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा

लिया था, जहाँ उन्होंने कथित तौर पर भाजपा के अंदरूनी कामकाज और संगठनात्मक मामलों पर ऐसे बयान दिए जो पार्टी की तय नीति और अनुशासन के खिलाफ थे। अनुशासन समिति ने कहा कि ऐसे बयानों से पहली नजर में पार्टी की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और संगठनात्मक छवि पर बुरा असर पड़ा है।

पाटी ने मामले को गंभीरता से लिया है और इन लोगों को निर्देश दिया है कि वे नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब दें। उन्हें यह बताना होगा कि पाटी अनुशासन का उल्लंघन करने और पाटी की प्रशिक्षण को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।

हड़ताली कर्मियों ने फूँका मान का पुतला

चंडीगढ़, 28 अगस्त (ब्यूरो)।

लॉबित महागाई भत्ता जारी करने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे पंजाब के कर्मचारियों ने शुक्रवार को होशियारपुर में मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला जलाया। यह प्रदर्शन मुख्यमंत्री मान के कथित 'उदासीन रवैया' और कर्मचारों प्रतिनिधियों से मिलने से उनके इनकार के विरोध में किया गया।

कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से गुरुवार को सोशल मीडिया पर की गई उस पोस्ट की प्रतियां भेज जलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि बैठक और आंदोलन, दोनों एक साथ नहीं चल सकते।



**INDO FARM
EQUIPMENT LIMITED**
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

Indo Farm Equipment Limited
CIN: L29219CH11994PLC015132
Registered Office: SCO 859 N.A.C Manimajra Kalka Road,
Chandigarh 160101, India, Phone: +91-96396303736
Website: <https://www.indofarm.in>; mail: Compliance@indofarm.in

कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग संबंधी जानकारी

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की 26वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम ") बुधवार, 23 सितम्बर 2026 को प्रातः 11:00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओवीएम ") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (" अधिनियम ") , तथा भारतीय प्रभुत्व और विनियम बोर्ड (लिट्रिंडे) दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, समय-समय पर यथासंशोधित, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय ("एमसीए सेकुलर") और भारतीय प्रभुत्व और विनियम बोर्ड ("सेबी सेकुलर") द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित, एजीएम बुलाने संबंधी सूचना ("सूचना") में निर्धारित कार्यों को संपन्न करने के लिए आयोजित होगी।

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, वर्ष 2025-26 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 28 अगस्त, 2026 को उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई है, जिनके ई-मेल पते कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, ईटीग्रेटेड वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वेब-लिंक, जिसमें सटीक पथ /व्यूआर कोड शामिल है, प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिनमें अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं।

26वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट <https://www.indofarm.in/>, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल ") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया /निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 108 के अनुपालन में, जिसे समय-समय पर संशोधित कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सेबी लिस्टिंग नियम के विनियम 44 और ईस्टीमेट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी जनरल मीटिंग (एएसए-2) पर सेक्रेटरीयल स्टैंडर्ड के साथ पढ़ा जाए, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपने मत डालने की सुविधा प्रदान की गई है। जिस व्यक्ति का नाम रिकॉर्डेड तिथि (कट-ऑफ तिथि) अर्थात् बुधवार, 16 सितंबर, 2026 को सदस्यों / लामकारी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वही दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाये या एजीएम में मतदान करने का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी:

रिमोट ई-वोटिंग का प्रारंभ	रविवार, 20 सितंबर 2026 को प्रातः 09:00 बजे (भा.मा.स.)
रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति	मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को सायं 05:00 बजे (भा.मा.स.)

ई-वोटिंग मॉड्यूल को तत्पश्चात् एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 16वीं सितंबर, 2026 को शेयर रखता है, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने के लिए www.evoting.nsdl.com या Compliance@indofarm.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो उसके मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग अपना वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने और एजीएम में भाग लेने का तरीका:

- सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यसूची के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा।
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे दोबारा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स सदस्यों को उनके ईमेल पते को ऊपर दिए गए तरीके से सफलतापूर्वक पंजीकृत करने के बाद ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।
- उन्हीं लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी किया जा सकता है।

श्री अजय के. अरोड़ा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चंडीगढ़, को ई-वोटिंग प्रक्रिया, जिसमें रिमोट ई-वोटिंग भी शामिल है, की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्कूटीनाइजर नियुक्त किया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर स्कूटीनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दी गई सभी टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेष रूप से वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

ई-वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध अवसर पूछें जाने वाले प्रश्न (FAQs) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल को atevoting@nsdl.com पर लिखकर और ईमेल कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं। सदस्य कंपनी के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को compliance@indofarm.in पर या ऊपर दिए गए पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी लिख सकते हैं।

इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर /—
नमप्रती कौर
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या एफ8353

स्थान: चंडीगढ़
दिनांक: 29 अगस्त, 2026